<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् प्रदेश सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारी — उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

याद पत्र संख्या 45 / 2021

अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. शिवप्रकाश पुत्र श्री दौलतराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर
2. विजयसिंह ताखर पुत्र श्री दौलतराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

— वादीगण

बनाम

1. दौलतराम पुत्र श्री सुखराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर
2. रानीदेवी पुत्री श्री दौलतराम पत्नी श्री हनुमानप्रसाद जाति जाट निवासी नेतेवाला तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार,श्रीगंगानगर

— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री रणजीत सारडीवाल	(वादीगण)
अधिवक्ता श्री सेविन कुमार गुम्बर	(प्रतिवादी–1 व 2)
पैरोकार राज	(प्रति.–3)

<u>—:: निर्णय ::—</u>

दिनांक 16.03.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीगण प्रतिवादी सं.–1 के पुत्र हैं तथा प्रतिवादी संख्या–2 के भाई है तथा प्रतिवादीया संख्या–2 प्रतिवादी संख्या–1 की पुत्री एवं वादीगण की बहिन है तथा प्रतिवादी सं0–1 वादीगण के पिता है तथा इस प्रकार से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 व 2 एक संयुक्त हिन्दू परिवार के रक्त सम्बन्धी सदस्य है। 3– यह कि प्रतिवादी सं.–1 दौलतराम के नाम से विरास्तन प्राप्त खातेदारी कृषिभूमि वाके चक 5 एम एल तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं.–79 / 52 के मु.नं. मुरब्बा नं0–37के किला नम्बर 3–4(.506)बारानी, 14ता17(1.012) नहरी, 24(0.228) नहरी 25(.228)नहरी कुल 1.974 हैक. नहरी बारानी भूमि तथा मुरब्बा नं0–46 के किला नं. 3/2(.158), 4–5(.506), 6(.076), 7(.240), 8/1(.158) कुल 1.138 हैक. नहरी भूमि इस प्रकार से उक्त वर्णित दोनो मुरब्बो का कुल रकबा 3.112 हैक. नहरी बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादपत्र के पैरा संख्या–3 में अंकित कृषिभूमि प्रतिवादी सं0–1 को विरासत में प्राप्त होकर संयुक्त परिवार की पैत्रिक भूमि है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 व 2 एक संयुक्त हिन्दू परिवार के रक्त सम्बन्धी सदस्य होकर प्रतिवादी सं0–1 को विरासत में प्राप्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित एवं जद्दी जायदाद सम्पत्ति है जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा कानूनन बनता है तथा वादीगण अपना हक हिस्सा प्राप्त करने के हकदार एवं अधिकारी है इसलिए वादीगण अपने हक–हिस्से की आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करके राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के हकदार है। प्रतिवादी संख्या–1 ने प्रतिवादी संख्या–2 की उपस्थिति में इस वादपत्र के पैरा संख्या–3 में अंकित कृषिभूमि का पूर्व में मौखिक बंटवारानामा किया था जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने पास चक 5 एम.एल.तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–79/52 के मु.नं.–0 मुरब्बा नं0–37 के किलानं. 3–4(.506)हैक. बारानी कृषिभूमि रखते हुए व प्रतिवादीया संख्या–1 व 2 ने अपनी

सहमति एवं रजामन्दी कर अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में बिना प्रतिफल छोड़ते हुए अपने हिस्से का परित्याग कर दिया था तथा उसी मौखिक बंटवारानामा के आधार पर दावा के पैरा संख्या–3 में वर्णित वादाधीन रकबा वादीगण के नाम मुताबिक बंटवारनामा विशेष किलाजात का कब्जा सौप देने के कारण मौखिक बंटवारानामा अनुसार बंटवारा किया गया है:

(क) वादी संख्या–1 शिवप्रकाश को चक 5 एन.एल.तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–79/52के पं.नं.–0मुरबा नं0–37के किलानं.1 4(2 53) नहरी,17(2 53) नहरी,24(.228) कुल0.734हैक.नहरी–बारानी,मुरबा नं0–46के किला नं.3/2(.1 58),4 (.1 3 3),7(.1 33) ,8/1 (.1 58)कुल0.58 2हैक.नहरी भूमि अर्थात कुल रकबा 1.3 1 6 हैक. नहरी–बारानी भूमि।

(ख) वादी संख्या–2 विजयसिंह तावर को चक 5 एम.एल.तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–79/52 के पं.नं.–0मुरबा नं0–37 के किलानं. 15–16(.506) नहरी, 25(.228) कुल 0.734 हैक. नहरी तथा मुरबा नं0–46 के किला नं.–4(.120), 5(.253), 6(.076), 7(.107) कुल 0.556 हैक. नहरी भूमि कुल रकबा 1.290 हैक. नहरी भूमि।

(ग) प्रतिवादी संख्या–1 दौलतराम को चक5 एम.एल.तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–79/52 के पं.नं.–0 मुरबा नं0–37 के किला नं 3–4(.506) बारानी भूमि ।

पैरा संख्या–5 में वर्णितानुसार मौखिक बंटवारानामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के बीच किया जाकर वादीगण विशेष किलाजात का कब्जा सौप दिया था जिस पर वादीगण आज भी शान्तिपूर्ण काश्त कर रहे है इसलिए वादीगण मुताबिक मौखिक बंटवारा उक्तानुसार विभाजन करवाकर अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है। वादपत्र के पैरा संख्या–3 में अंकित कृषिभूमि प्रतिवादी सं0–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादीगण ने प्रतिवादी सं0–1 को बार–बार आग्रह किया कि वह उनके नाम से दर्ज कृषि भूमि जददी जायदाद होने व वादीगण का उसमें जन्म से हक–हिस्सा होने का मानकर मुताबिक मौखिक बंटवारा वादीगण के नाम से विशेष किलाजात अंकल करते हुए खातेदारी दर्ज करवायें तथा बिना जरूरत जायज बिना मुफाद खानदान के मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे मगर टालमटोल करते रहे अब दिनांक 05–02–2021 को साफ इनकारी कर दी तथा इनकारी से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादपत्र के पैरा संख्या–3 में अंकित कृषिभूमि प्रतिवादी सं0–1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है इसलिये प्रतिवादी सं0–1 वादीगण को धमकी दे रहा है कि मैं तमाम सम्पत्ति का बेचान करके अन्यत्र सम्पत्ति खरीद लूँगा जिससे सम्पत्ति उनकी नीजि सम्पत्ति हो जावेगी और वादीगण उनसे कोई हक–हिस्सा नही ले सकेगे यदि प्रतिवादी सं0–1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वादीगण अपने हक व हिस्सा की जददी जायदाद से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगे और वादीगण को बहुत भारी क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार के हर्जाना से नही हो सकेगी। प्रतिवादी संख्या–1 उक्त जददी जायदाद को मुन्तकिल करवाकर राशि खुद प्राप्त करने अन्यत्र भूमि खरीदने की फिराक में है इसलिये वादीगण प्रतिवादी सं.–1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निशेधाज्ञा पाने के अधिकारी है कि वो वादग्रस्त भूमि को रहन बैय आदि दीगर तरीके से हस्तांतरण करने से बाज व ममनू रहे। लिहाजा वाद वादीगण पेश कर अर्ज है वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणात्मक आदेश जारी किया जावे कि :–

(क) वादी संख्या–1 शिवप्रकाश को चक 5 एम.एल.तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–79/52के पं.नं.–0मुरबा नं0–37के किलानं.1 4(.2 53) नहरी,17(.2 53) नहरी,24(.228) कुल0.734हैक.नहरी–बारानी,मुरबा नं0–46के किला नं. 3/2(.1 58),4 (.1 3 3),7(.1 33) ,8/1 (.1 58)कुल0.58 2हैक.नहरी भूमि अर्थात कुल रकबा 1.3 1 6 हैक. नहरी–बारानी भूमि।

(ख) वादी संख्या–2 विजयसिंह तावर को चक 5 एम.एल.तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–79/52 के पं.नं.–0मुरबा नं0–37 के किलानं. 15–16(.506) नहरी, 25(.228) कुल 0.734 हैक. नहरी तथा मुरबा नं0–46 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

किला नं.–4(.120), 5(.253), 6(.076), 7(.107) कुल 0.556 हैक. नहरी भूमि कुल रकबा 1.290 हैक. नहरी भूमि।

(ग) प्रतिवादी संख्या–1 दौलतराम को चक5 एम.एल.तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–79/52 के पं.नं.–0 मुरबा नं0 37 के किला नं 3–4(.506) वारानी भूमि ।

उक्तानुसार आराजी वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जाकर प्रतिवादी संख्या–1 क नाम संख्या–2 का नाम मुरबा न0–37 के किला नं. 3–4(.506) वारानी भूमि रखते हुए प्रतिवादी संख्या–2 के हिस्सा कलनजन किया जावें।

(घ) यह कि इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये कि प्रतिवादी संख्या–1 विवादित रकबा चक 5 एम.एल. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–79/52 के पं.नं.–0 मुरबा नं0–37 की 1.974 हैक. नहरी वारानी भूमि तथा मुरबा नं0–46 की 1.138 हैक.नहरी भूमि इस प्रकार से दोनो मुरब्बो का कुल रकबा 3.112 हैक.नहरी वारानी भूमि आराजी को रहन बैय आदि दीगर तरीके से हस्तांतरित करने से बाज व ममनू रहे एवं रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायें रखें।

(ड) अन्य अनुतोष जो वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध अदालतवाला उचित समझे फरमाएँ जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 04.03.2021 को इकबालदावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 04.03.2021 को आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त प्रकरण में मौजिज व्यक्तियों ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 का आपस में लोकअदालत की भावना से राजीनामा करवा दिया है अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित भूमि के बंटवारे आदि को लेकर कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं रहा है पंचायत ने वादीगण व प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से मौखिक बंटवारानामा अनुसार किया था जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने पास कृषि भूमि चक 5 एम.एल. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–79/52 के पं.नं.–0 मुरबा नं0 37 के किला नं. 3–4(.506) हैक. वारानी कृषिभूमि रखी है तथा प्रतिवादीया संख्या–2 ने अपनी सहमति रजामन्दी कर अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में बिना प्रतिफल छोड़ते हुए अपने हिस्से का परित्याग कर दिया था तथा उसी मौखिक बंटवारानामा के आधार पर वादाधीन रकबा मुताबिक बंटवारनामा विशेष किलाजात का कब्जा होने के कारण मौखिक बंटवारानामा अनुसार बंटवारा किया गया है:–

(क) वादी संख्या–1 शिवप्रकाश को चक 5 एम एल.तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–79/52के पं.नं.–0मुरबा नं0–37के किलानं.1 4(.2 5 3) नहरी,17(.2 53) नहरी,24(.228) कुल0.734है.नहरी–वारानी,मुरबा नं0–46 के किला नं.3/2(.1 58),4 (.1 3 3),7(.1 3 3) ,8/1 (.1 58)कुल0.582है.नहरी भूमि अर्थात कुल रकबा 1.3 1 6 है. नहरी–वारानी भूमि। (ख) वादी संख्या–2 विजयसिंह ताखर को चक 5 एम.एल.तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0—79/5 2 के पं.नं.–0मुरबा नं0–37 के किला नं. 15–16(.506) नहरी, (.228) कुल 0.734 हैक. नहरी तथा मुरबा नं0–46 के किला नं.–4 (. 120) 56.25 (.076), 7(.107) कुल 0.556 हैक. नहरी भूमि कुल रकबा 1.290 हैक. नहरी भमि। (ग) प्रतिवादी संख्या–1 दौलतराम को चक 5 एम.एल. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–79/52 के पं.नं.–0 मुरबा नं0–37 के किलानं. 3–4(.506)वारानी भूमि। प्रतिवादीगण ने ण ने लोकअदालत की भावना से यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने लोकअदाल प्रेरित होकर यह आपसी राजीनामा कर कि जाता राजीनामा कर लिया है तथा जिसमें प्रतिवादा सख्या– 2 अपनी स्वेच्छा एवं रजामंदी से उक्त वर्णित भूमि स हक–हिस्सा नही लेना चाहती है तथा प्रतिवादी संख्या –1 ने अपन हिस्से में 0.506 हैक्टेयर वारानी भूमि रख ली है। अब शेष भूमि का मुताबिक राजीनामा बंटवारा करना चाहता है। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

संख्या-2 ने अपने हिस्सा को बिना किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त किये बिना जबर दबाव के अपने वादीगण के पक्ष में म.हि.म.दाका (रीलीज) कर दिया है एवं इस संबंध में भविष्य में कोई भी किसी प्रकार से उजर-एतराज, क्लेम आदि नहीं करेंगे इसलिए उक्त वर्णित बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावें तो हमी पक्षकारान को कोई उजर व एतराज नहीं होगा।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

मैंने उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का पुर्जीनामा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त वारिसान पत्रावली में पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 ग्राम 6 एमएल, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 79/52, वादी द्वारा विरासतन साक्ष्य के रूप में जमाबंदी ग्राम 6 एमएल, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 242/84, की प्रमाणित फोटो प्रतियां पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदीयों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

-:: आदेश ::-

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगणर एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है-

(क) वादी संख्या-1 शिवप्रकाश को चक 5 एम.एल.तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0-79/52 के पं.नं.-0 मुरबा नं0-37 के किला नं. 14(.253) नहरी, 17(.253) नहरी, 24(.228) कुल 0.734 हैक. नहरी-बारानी, मुरबा नं0 46के किला नं. 3/2(.158), 4(.133), 7(.133), 8/1(.158) कुल 0.582 हैक. नहरी भूमि अर्थात कुल रकबा 1.316 हैक. नहरी-बारानी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

(ख) वादी संख्या-2 विजयसिंह ताखर को चक 5 एम.एल.तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0-79/52 के पं.नं.-0 मुरबा नं0-37 के किला नं. 15-16(.506) नहरी, 25(.228) कुल 0.734 हैक. नहरी तथा मुरबा नं0-46 के किला नं. 4(.120), 5(.253), 6(.076), 7(.107) कुल 0.556 हैक. नहरी भूमि कुल रकबा 1.290 हैक. नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

(ग) प्रतिवादी संख्या-1 दौलतराम को चक 5 एम. एल. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0-79/52 के पं.नं.-0 मुरबा नं0 37 के किला नं 3-4(.506) बारानी भूमि।

उक्तानुसार आराजी वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जाकर प्रतिवादी संख्या-1 के नाम प्रतिवादी संख्या-2 के नाम मुरबा न0 37 के किला नं. 3-4(.506) बारानी भूमि रखते हुए प्रतिवादी संख्या-2 के हिस्सा कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

पत्रावली निर्णय शुमार होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.03.2021 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)